तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अ हुक्म में जार
16.05.18	पत्रावली मूल आवेदक व अन्य आज पेश हुई। आवेदक अधि० व राजकीय अधिवक्ता उप०। चूंकि मूल प्रकरण का निर्णय हो चुका है। इसलिए स्थगन प्रा० पत्र विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। मूल प्रकरण के लंबित रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया।	

जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official